मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान अविचल चतुर्वेदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'अगले माह सवा लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की जायेगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के काम की समीक्षा की

- **मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सर्वे करा कर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करें तथा राज्य के सरकारी व निजी विद्यालयों के ड्रैस कोड में एक रूपता लाई जाये।**

जयपुर, 25 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही, खाली पदों पर भर्ती तथा स्कूलों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले, इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग साढ़े 3 करोड़ पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है तथा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1 लाख 25 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतरीन करने हेतु सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 18 हजार पदों पर पदोन्नित की गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कक्षा कक्षों तथा बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नव निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा, कृष्ण कुणाल ने मुख्यमंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 1.34 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

इस अवसर पर, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, अविचल चतुर्वेदी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस्तीफा प्रकरण : धारीवाल, महेश जोशी सहित 6 को हाईकोर्ट का नोटिस

भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका में 6 नेताओं से 4 सप्ताह में जवाब मांगा

- **25 दिसम्बर 2022 को 81 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे। अध्यक्ष ने लम्बे समय तक इस पर निर्णय नहीं लिया। पिछली सुनवाई पर स्पीकर की ओर से जवाब आया कि इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए अस्वीकार कर दिये। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि किसके दबाव में इस्तीफे दिये गये।**

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन 81 विधायकों द्वारा इस्तीफा देने से जुड़े मामले में, अपने और 75 विधायकों के इस्तीफे की कॉपी स्पीकर को सौंपने वाले तत्कालीन छह विधायकों, शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढ़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अदालत ने इन तत्कालीन विधायकों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस, एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने गत सुनवाई को इन तत्कालीन 6 विधायकों को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

याचिका में कहा गया कि 81 विधायकों ने 25 सितंबर, 2022 को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कई बार स्पीकर को प्रतिवेदन देकर इस्तीफों पर निर्णय करने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद इन 81 विधायकों ने वेतन भत्तों के तौर पर करीब 18 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। ऐसे में इस बिन्दु पर उचित आदेश दिए जाएं। इसके अलावा स्पीकर के समक्ष लंबित इस्तीफों के संबंध में निर्णय करने की अधिकतम समय सीमा तय की जाए।

अधिवक्ता हेमन्त नाहटा ने बताया कि इन छह तत्कालीन विधायकों को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र इसलिए दायर किया था, ताकि पता चल सके कि कांग्रेस के 81 विधायकों ने किसके दबाव में विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे थे।

दरअसल इस मामले में पिछली सुनवाई पर मौजूदा स्पीकर का जवाब आया था, जिसमें कहा गया था कि इस्तीफों को स्पीकर ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि विधायकों ने अपने इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं दिए थे और कई विधायकों ने अपने इस्तीफे, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर, नहीं देने की बात की थी।

झारखंड की नई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। इन 71 करोड़पतियों में से 28 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा, (जे.एम.एम.), 20 भाजपा, 14 कांग्रेस, 4 आर.जे.डी., 2 सी.पी.आई. एम.एल. लिबरेशन और एक-एक एल. जे.पी. (राम विलास), जय (यू.) तथा ए.जे.एस.यू. के है। हाल में संपन्न हुए चुनावों में जे.एम.एम. को 34 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि, कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। वहीं, आर.जे.डी. ने चार और सी.पी.आई.एम.एल. लिबरेशन ने दो सीटे जीती है।

दूसरी तरफ भाजपा को 21 विधानसभा सीटों पर तथा उसकी पार्टनर एल.जे.पी. (पासवान), जय (यू) और ए.जे.एस.यू. पार्टी को एक-एक सीट पर जीत मिली। झारखंड विधानसभा 2024 में प्रति विजेता प्रत्याशी औसत संपत्ति 6.90 करोड़ है। सन् 2019 के चुनावों में यही औसत 3.82 करोड़ था।

अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को "आधारहीन" बताया है।

अडानी मुद्दे को लेकर हो रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई।

संभल : सपा सांसद और विधायक पुत्र के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक, सभी स्कूल बंद किये

- **सपा सांसद जिया उर रहमान तथा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश करने, दंगा भड़काने व भीड़ इकट्ठी करने के आरोप हैं।**

संभल, 25 नवंबर। जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इलाके में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज की है। एफ.आई.आर. में सपा सांसद जिया उर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है।

रविवार को जिले में हुए बवाल के बाद संभल कोतवाली में दंगे को लेकर दर्ज की गई एफ.आई.आर. में सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इक्कठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के हाथ दंगा भड़काने वाले कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक सात एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इन सभी में कुल मिलाकर 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल के एस.पी. कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, "हमारे सब-इंस्पेक्टर दीपक राठी, जो कल घायल हुए थे, उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिया उर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने भीड़ को उकसाया था।" उन्होंने बताया कि बर्क को पहले भी नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने लोगों को भड़काया, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बर्क को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संभल में बवाल के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस के तहत एक दिसंबर तक बहारी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक है। प्रशासन ने अतिसंवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा और पथराव के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार बरामद हुए हैं।

'आरोप अडानी पर है, और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों, जिनमें अन्य राज्यों से आये लोग भी शामिल थे, ने भाग लिया। ये लोग अडानी के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियाँ हाथों में उठाये हुये थे।

अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स ने सागर अडानी पर आरोप लगाते हुये कहा कि उन्होंने कथत रूप से करोड़ों डालर की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी। इन नोटों को प्रॉसिक्यूटर्स ने "रिश्वत के नोट" बताया है।

इस कथित रिश्वत-कांड पर अमेरिकन अधिकारियों का ध्यान उस समय गया, जब अडानी की कम्पनी 2021 में शुरू हुये इस लेन-देन से सम्बन्धित पैसों की उगाही अमेरिकन निवेशकों से कर रही थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि रिश्वत के इस अभियोग की शाखें पूरी दुनिया में फैल गई हैं। ऐसी खबरें है कि कुछ बैंकर इस ग्रुप को नया उधार देना फिलहाल रोक देने पर विचार कर रहे हैं।

कीनिया ने 2.5 अरब डॉलर के अडानी इन्फ्रास्ट्रक्चर के सौदे रद्द करने के आदेश दे दिये हैं। एक अमेरिकन डवलपमेन्ट एजेंसी श्रीलंका के एक अडानी पोर्ट प्रोजेक्ट का पुनः आकलन कर रही है, जिसे वित्तीय सहयोग देने के लिये पहले सहमति दे दी गई थी।

बाँग्लादेश में, एक सरकारी पैनल ने बिजली के सौदों, जिनमें एक सौदा अडानी से भी किया गया है, की जाँच के लिये कानूनी सहायता माँगी है।

असली सवाल है कि अब अडानी पर आगे क्या होगा? उन पर विदेशी रिश्वतखोरी, सिक्यूरिटीज फ्रॉड, सिक्यूरिटी फ्रॉड षडयन्त्र तथा बायर फ्रॉड षडयन्त्र के आरोप हैं।

उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा वे कहाँ है, यह ज्ञात नहीं है। हालाँकि, माना जा रहा है कि वे भारत में ही हैं।

अगर उनका प्रत्यार्पण होता है, या वे अमेरिका में सरेन्डर करते हैं, तो भी ट्रायल में काफी समय लगना है।

अगर अडानी पर अभियोग साबित हो जाता है तो उन्हें दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है तथा उन पर जुर्माने भी हो सकते हैं।

हालाँकि, किसी प्रकार सजा दिया जाना अन्ततः केस की सुनवाई करने वाले जज पर निर्भर है।

अमेरिकन अदालत के एक निर्देश के अनुसार, फिलहाल अडानी को अमेरिकन मार्केट्स के रेग्यूलेटर के आरोपों का जवाब 21 दिन के अन्दर देना है।

खुली जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले कैदियों का भी पुनर्वास करना होगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि खुली जेल को आवंटित की गई जमीन को कम नहीं किया जा रहा है। खुली जेल का कुल क्षेत्रफल 61,160 वर्ग मीटर है। इसमें से 17,800 वर्ग मीटर जमीन पर निर्माण है।

वहीं, खुली जेल के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से 14,940 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करना प्रस्तावित है, जबकि 22,000 वर्ग मीटर जमीन पर ही सेटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा।

वहीं, हॉस्पिटल निर्माण के दौरान कैदियों का पुनर्वास किया जाएगा। मौजूदा समय में खुली जेल में 410 कैदी रह रहे हैं।

दरअसल अवमानना याचिका में कहा था कि खंडपीठ ने 17 मई 2024 को आदेश जारी कर, राज्य सरकार को खुली जेल की जमीन को कम नहीं करने और छह दशक से खुली जेल के लिए काम आने वाली इस जमीन को संरक्षित करने के लिए कहा था, लेकिन जेडीए ने 30 जुलाई 2024 को इस जमीन पर सेटेलाइट हॉस्पिटल का आवंटन मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार व जेडीए का ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी, बिना सोचे समझे और विभिन्न समूहों व हितों को "बैलेंस" किए बिना बड़ी बेतरतीबी से नियुक्तियाँ कर रही है।

लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की यही कहानी है। राहुल गांधी अपनी पार्टी में राजनीति को सूक्ष्म तरीके से नहीं देखते हैं और उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है।

यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी निरीह से नज़र आते हैं, क्योंकि वे काफी समय से वेणुगोपाल और जयराम रमेश को हटाना चाहते पर कर नहीं पा रहे हैं।

दो से ज्यादा संतान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी कर दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित सालों से पदोन्नत करने का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गत अगस्त माह में अंतरिम आदेश जारी कर पदोन्नतियों पर रोक लगा दी थी, जबकि अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को पूर्व में दी गई पदोन्नति इस अधिसूचना से प्रभावित नहीं हो रही है। इसलिए पूर्व में दिए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पूर्व में दिए आदेश को संशोधित करते हुए तथा पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटाते हुए उसे याचिका के निर्णयाधीन रखा है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक जून 2002 या इसके बाद दो से ज्यादा संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को तीन व पांच अवसरों तक पदोन्नित से वंचित रख रखा था। वहीं, कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को एक अधिसूचना निकाल कर कहा कि किसी भी कर्मचारी को केवल ज्यादा संतान होने के चलते पदोन्नित से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिन कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया है, उन्हें उनके पदोन्नति वर्ष से ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पिछली तारीखों से किसी भी कर्मचारी की योग्यता के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। वहीं, इस अधिसूचना के जरिए वो कर्मचारी पदोन्नत होंगे, जिन्हें पहले अयोग्य माना जा चुका है। इस कारण याचिकाकर्ताओं की पदोन्नित भी प्रभावित होगी और वे वरिष्ठता में उनसे नीचे चले जाएंगे। इसलिए 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के आधार पर दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाए।

नीट यूजी : स्ट्रे वेकैन्सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था, जबकि एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को अगस्त माह में ही इसकी जानकारी थी कि काउंसलिंग में वह प्रमाण पत्र पेश करना है, जिसमें कक्षा 11वीं में बायोलॉजी विषय होने की जानकारी हो। वहीं, तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकलपीठ में याचिका दायर की गई, जबकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया था और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। इसलिए उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई। ऐसे में अपीलार्थियों का सीट आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सीट आवंटन निरस्त करने पर रोक लगा दी है।

तेलंगाना ने अडानी का 100 करोड़ का दान लौटाया

हैदराबाद, 25 नवंबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े विवाद पर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की। रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तेलंगाना सरकार का कथित मुद्दों से कोई संबंध नहीं है तथा अंबानी, अडानी और टाटा जैसे उद्योगपति राज्य में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते, वे कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी द्वारा घोषित 100 करोड़ रुपये के दान को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है।

केजरीवाल दिल्ली में 80 हजार नये बुजुर्गों को पेंशन देंगे

नई दिल्ली, 25 नवंबर। दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेलते हुए दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में अब सब रूके हुए काम फिर से शुरू कराएँगे।

अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्गों के लिए यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, सरकार

- **दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की घोषणा को चतुर राजनीतिक कदम माना जा रहा है।**
- **केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जब वे जेल में गये तब बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गयी थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से पेंशन शुरू करवायी है।**

80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन देने जा रही है, दिल्ली में अब 5 लाख 30 हजार बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी।

अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 2 हजार रुपये महीना दिया जाता है। इसके अलावा 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस फैसले को कैबिनेट ने भी पास कर दिया है, ये लागू भी हो गया है और पेंशन के लिए 10 हजार नए एप्लिकेशन भी आ गए हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर बुजुर्गों को कम पेंशन मिलती है, और यहां सिंगल इंजन की सरकार है तो यहां 2500 पेंशन मिलती है। इसलिए डबल इंजन को नहीं सिंगल इंजन की सरकार ही चुनिए।" केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह जेल गए तो बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई यह पाप है। केजरीवाल ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से पेंशन को शुरू करवाया है।

15 साल राज किया, पर 15 सीटों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लें या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें, जो स्वतंत्र एवं सक्षम हो। मल्लिकार्जुन खड़गे निश्चित रूप से इस पद को सँभाल नहीं सके हैं, और उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा, तो यह स्पष्ट है कि बैक सीट ड्राइविंग आगे न तो काम कर सकती है और न करेगी।

2019 से लेकर अब तक, कांग्रेस ने बहुत सारे चुनाव हारे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई तथा न ऐसी नई प्रतिमाओं को आगे लाया गया, जो पार्टी को ताकतवर बना सकें।

पिछले पाँच साल का रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार है-

2019 - लोक सभा हारे,
2019 - आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश तथा हरियाणा हारे
2020 - दिल्ली और बिहार हारे
2021 - असम, केरल तथा पश्चिम बंगाल हारे
2022 - गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर हारे
2023 - राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हारे
2024 - लोकसभा चुनाव, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हारे

इन हारों के लिये क्या कोई जिम्मेदार ठहराया गया? अब तक इन पराजयों की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कोई आत्म-निरीक्षण नहीं किया गया, कोई विश्लेषण नहीं किया गया।

एक हार के बाद, पार्टी दूसरी हार की ओर बढ़ जाती है।

संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्षता" शब्द शामिल किए जाने के खिलाफ याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों बाद इस प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का क्रियान्वयन सरकार पर निर्भर है।**
- **ज्ञातव्य है कि आपातकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में "समाजवाद" व "धर्मनिरपेक्षता" शब्द जुड़वाए थे।**
- **भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने पृथक- पृथक याचिकाएं दायर कर इन शब्दों को हटाने की मांग की थी और कहा था कि आपातकाल में संसद द्वारा पारित संशोधन अमान्य हैं, पर कोर्ट ने उनके तर्क को ठुकरा दिया।**

नयी दिल्ली, 25 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल किये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संबंधित रिट याचिकाओं पर आगे विचार-विमर्श और निर्णय की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा, हमने स्पष्ट किया है कि इतने वर्षों के बाद प्रक्रिया को इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है, यह सरकार की नीति पर निर्भर करेगा।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिकाएँ दायर की थीं। शीर्ष अदालत ने 22 नवंबर को कहा था कि संविधान में 1976 में किए गए संशोधन में प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को शामिल किया गया था, जिसकी न्यायिक समीक्षा की गई थी और वह यह नहीं कह सकता कि आपातकाल के दौरान संसद ने जो कुछ भी किया, वह सब निरर्थक था। पीठ ने पहले भी कहा था कि ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें शीर्ष अदालत ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढ ांचे का हिस्सा है और वास्तव में इसे मूल ढ ांचे के रूप में अपरिवर्तनीय हिस्से का दर्जा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत में आपातकाल की घोषणा दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को की थी, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रही। केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द शामिल किए गए थे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908